फा. सं.: 19012/01/2023-पीसी

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(पीसी प्रभाग)

कमरा नंबर 216 जे, डी विंग, दूसरी मंजिल

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 07.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मार्च, 2023 की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।

*****

अधोहस्ताक्षरी को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा माह मार्च, 2023 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों के सारांश की एक प्रति जानकारी के लिए परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नक: उपरोक्त के अनुसार

(उत्तम कुमार कर)

अवर सचिव, भारत सरकार

फो.नं. 011- 23381903

ईमेल : uttam.kk@nic.in

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सदस्य

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को अग्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी सचिव (सभी मंत्रालय/विभाग)
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. सचिव (जनजातीय कार्य) के प्रधान निजी सचिव
2. एनआईसी प्रकोष्ठ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

विषयः मार्च, 2023 माह की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश।

*****

यह **मार्च, 2023** के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में है।

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान</u>

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 (1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रस्तावों पर क्रमशः 1 राज्य, 9 राज्यों और 3 राज्यों के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकें 06.03.2023, 09.03.2023 और 27.03.2023 को आयोजित की गईं।

<u>एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय</u>

3. वर्ष 2021-22 के लिए जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित लेखे महीने के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए हैं।

<u>विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास</u>

4. पीवीटीजी के विकास की योजना के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रस्तावों पर परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठक 9 राज्यों के लिए 22.03.2023 को आयोजित की गई थी।

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)</u>

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) पात्र अनुसूचित जनजातियों को उनकी आजीविका के लिए स्व-सशक्तिकरण उद्यम शुरू करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में वर्ष 2022-23 के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	वित्तीय वर्ष 2022-23		पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन
		वार्षिक लक्ष्य	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	
1	**स्वीकृति**	**250.00**	**190.36**	**386.12**
2	**संवितरण**	**240.00**	**299.29**	**272.92**

मार्च, 2023 माह के दौरान, निगम ने 34.66 करोड़ रूपये की परियोजनाएँ स्वीकृत कीं और 61.16 करोड़ रूपये वितरित किए।

5.1 एनएसटीएफडीसी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से 31.03.2023 को नई दिल्ली में अ.ज.जा. महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 650 से अधिक अ.ज.जा. महिला एसएचजी सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (आयुष्मान भारत के लिए), डाक विभाग (ई-श्रम के लिए), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (वित्तीय सेवाओं के लिए) और भारतीय स्टेट बैंक ने भी भाग लिया। इन संगठनों ने आयोजन स्थल पर कियोस्क स्थापित करके आगंतुकों को उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभों के लिए पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग की सुविधा भी प्रदान की। आगंतुकों को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, जन धन खाते खोलने के लाभों आदि के बारे में भी बताया गया। सिकल सेल रोग और सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी बजट 2023 की घोषणा सहित जनजातीय आबादी के बीच प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं पर जागरूकता पैदा करना भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा था।

उद्यान उत्सव -1 के एक भाग के रूप में, जनजातीय महिला एसएचजी के सदस्यों को 31.03.2023 को अमृत उद्यान में आमंत्रित किया गया था। कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात से महिला एसएचजी सदस्यों ने यात्रा में भाग लिया, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा सुविधा प्रदान की गई थी। इन आगंतुकों को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिला।

5.2 एनएसटीएफडीसी के अधिकारियों ने एनएसटीएफडीसी योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र ऋण प्रस्तावों की पहचान हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रतलाम, इंदौर और शाहडोल (मध्य प्रदेश) के क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया।

5.3 अधिकारियों ने एनएसटीएफडीसी की माइक्रो क्रेडिट (लघु ऋण) योजना के तहत वित्तपोषित इकाइयों की चर्चा और निरीक्षण के लिए कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास निगम और पश्चिम बंगाल एससी एसटी विकास निगम के कार्यालय का दौरा किया।

5.4 अधिकारियों ने एनसीएसटी के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में एक बैठक में भाग लिया और एनएसटीएफडीसी की योजनाओं और ओडिशा में उनके कार्यान्वयन के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

5.5 अधिकारियों ने माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भाग लिया और मयूरभंज में आजीविका विकास (इनक्यूबेशन) केंद्र के प्रस्तावित स्थल का भी दौरा किया।

5.6 एनएसटीएफडीसी के लंबे समय से लंबित निपटान के संबंध में असम मैदानी जनजाति विकास निगम और मैदानी जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

5.7 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, निगम ने सभी महिला कर्मचारियों के लिए "एक मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाएँ" विषय पर दो घंटे का सत्र आयोजित किया।

5.8 एनएसटीएफडीसी ने मैक्स हेल्थ केयर के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस कैंप के दौरान, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर (रैंडम), ऑप्टोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन, एचबीए1सी, बीएमडी और मैमोग्राफी जैसे चेक-अप/ परीक्षण किए गए। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता भी आयोजित की गई।

<u>वन अधिकार अधिनियम</u>

6. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दिनांक 30.11.2022 तक राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 44,66,617 दावे (42,97,245 व्यक्तिगत एवं 1,69,372 समुदाय) दर्ज किये गये तथा 22 ,49,671 शीर्षक (21,46,782 व्यक्तिगत और 1,02,889 समुदाय) वितरित किए गए हैं। कुल 39,79,543 (89.10%) दावों का निपटान किया गया है।

<u>आजीविका</u>

7. 27.03.2023 को "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन" योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

7.1 "पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रसद विकास" योजना के लिए दिनांक 29.03.2023 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

<u>प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)</u>

8. मार्च, 2023 के दौरान प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत निम्नलिखित राज्यों को 6408.485 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई:

राज्य	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)
असम	1220.85
मिजोरम	1176.635
नागालैंड	1552.37
पश्चिम बंगाल	810.14
तेलंगाना	1087.975

तमिलनाडु	209.50
हिमाचल प्रदेश	288.09
लद्दाख	62.925

9. ई-गवर्नेंस को डिजिटल इंडिया का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के क्रम में, मार्च, 2023 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस में 219 ई-फाइलें बनाई गई हैं।